राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2019–20
10वीं कक्षा
सामाजिक विज्ञान
मॉडल पेपर 1

समय : $3\frac{1}{4}$ घंटे **(पूर्णांक : 80)**

परीक्षार्थियों के लिये सामान्य निर्देश :–

1. परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न–पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें।
2. सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं।
3. प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर–पुस्तिका में ही लिखें।
4. जिन प्रश्नों में आन्तरिक खण्ड हैं, उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें।
5.

प्रश्न संख्या	अंक प्रत्येक प्रश्न	उत्तर की शब्द सीमा
1–10	1	20 शब्द
11–19	2	40 शब्द
20–26	4	100 शब्द
27, 29	6	150 शब्द
28	7	150 शब्द

6. प्रश्न संख्या 30 मानचित्र कार्य से संबंधित है और 5 अंक का है।
7. प्रश्न संख्या 24 व 27 से 29 तक में आंतरिक विकल्प है।

---

1. समाहर्त्ता नामक अधिकारी का कार्य क्या था? 1

उत्तर :
समाहर्त्ता नामक अधिकारी का कार्य राजस्व एकत्र करना, आय–व्यय का ब्यौरा रखना एवं वार्षिक बजट तैयार करना था।

2. किस शासक ने 'ग्रैंड ट्रंक रोड' बनवाई थी? 1

उत्तर :
शेरशाह सूरी 'ग्रैंड ट्रंक रोड' ने बनवाई थी।

3. "लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की (शासन कार्य में) माँग हो" यह परिभाषा किसके द्वारा लिखी गई है? 1

उत्तर :
'सीले' द्वारा लोकतंत्र की यह परिभाषा लिखी गई है।

4. राष्ट्रीय और रक्षा हवाई अड्डों के लिए गैर–सैन्य रनवे की व्यवस्था कौनसा सरकारी संगठन करता है? 1

उत्तर :
भारतीय राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, राष्ट्रीय और रक्षा हवाई अड्डों के लिए गैर–सैन्य रनवे की व्यवस्था करता है।

5. राष्ट्रीय आय की गणना के लिए राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? 1

उत्तर :
अगस्त, 1949 को राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया।

6. सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) से क्या आशय है? 1

उत्तर :
एक लेखा वर्ष में किसी देश में उत्पादित अन्तिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य तथा विदेशों से शुद्ध साधन आय के जोड़ को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं।

7. वित्तीय वर्ष क्या है? 1

उत्तर :
1 अप्रैल से 31 मार्च तक का समय वित्तीय वर्ष कहलाता है।

सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि RBSE के सॉल्वड मॉडल पेपर/डेस्क वर्क प्राप्त करने के लिए 9460377092 को अपनी क्लास के व्हाट्सएप्प ग्रुप में एड करें। आपकी क्लास के व्हाट्सएप्प ग्रुप में पेपर भेज दिए जाएंगे।

8. भारत में मुद्रास्फीति की दर किससे मापी जाती है? 1

उत्तर :

थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मुद्रास्फीति की दर मापी जाती है।

9. मुद्रास्फीति से क्या आशय हैं? 1

उत्तर :

सामान्य कीमतों में सतत् वृद्धि होने तथा मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट आने की स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं।

10. सूचकांक को परिभाषित कीजिए। 1

उत्तर :

अलग-अलग पैमाने पर मापनीय इकाइयों का औसत, सूचकांक कहलाता है। सूचकांक के द्वारा दिए गए आधार के सापेक्ष किसी चर के आकार में परिवर्तन को दर्शाया जाता है।

11. राज्य विधानमंडल के गठन को समझाइए। 2

उत्तर :

अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल, विधानसभा तथा विधानपरिषद् नामक एक या दो सदनों से मिलकर बनाया जाता है। राज्य विधानमंडल के **निम्न सदन** को **विधानसभा** तथा **उच्च सदन** को **विधानपरिषद्** कहते हैं। जिन राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्था है, वहाँ राज्यपाल और विधानसभा के सम्मिश्रण से राज्य विधानमंडल का निर्माण होता है तथा इसके विपरीत द्विसदनात्मक व्यवस्था वाले राज्यों में राज्यपाल, विधानपरिषद् व विधानसभा के सम्मिश्रण से राज्य विधानमंडल का निर्माण हुआ है।

12. जल स्वावलम्बन की आवश्यकता के बारे में उल्लेख कीजिए। 2

उत्तर :

वर्तमान में भूमिगत जल के निम्न स्तर, स्थानीय स्तर पर प्रचलित जलस्रोतों की दुर्गति, बड़े बाँधों में बढ़ती मिट्टी की अवसाद तथा वर्षा की अनियमितता के कारण जलसंकट की विकट परिस्थितियाँ पैदा होने लगी है। इन सभी के साथ बढ़ती जनसंख्या से जल की बढ़ती माँग के कारण संकट और भी गम्भीर हो गया है। इन सभी कारणों के परिणामस्वरूप जल स्वावलम्बन की आवश्यकता उत्पन्न हो गयी है।

13. भारत में कृषि फसलों को उपयोग के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। 2

उत्तर :

उपयोग के आधार पर फसलों को चार भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

1. **खाद्यान्न फसलें –** ऐसी फसलें जिनका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है, खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं, जैसे- चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, दालें आदि।
2. **व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें –** ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए या उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें कहलाती हैं, जैसे- गन्ना, कपास, जूट, तम्बाकू, तिलहन आदि।
3. **बागानी फसलें –** ऐसी फसलें जिसे विशाल बागानों में उत्पादित किया जाता है, बागानी फसलें कही जाती हैं, जैसे- रबड़, सिनकोना, गर्म मसाले, चाय, कॉफी आदि।
4. **उद्यान फसलें –** इनमें फल, सब्जियाँ आदि को सम्मिलित किया जाता है।

14. कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला कितने प्रकार का होता है? लिखिए। 2

उत्तर :

कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला मुख्यतः चार प्रकार का होता है-

1. **एन्थ्रेसाइट** - यह सबसे उत्तम प्रकार का कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90 प्रतिशत होती है।
2. **बिटुमिनस** - गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। जिसमें कार्बन की मात्रा 70 से 80 प्रतिशत होती है।
3. **लिग्नाइट** - यह निम्न कोटि का भूरा कोयला (35 से 50 प्रतिशत कार्बन) होता है। यह मुलायम होने के साथ अधिक नमीयुक्त होता है।
4. **पीट –** इसमें कार्बन की कम मात्रा, नमी की अधिक मात्रा व निम्न ताप क्षमता तथा कार्बन 15 से 35 प्रतिशत होता है।

15. विनिर्माण उद्योग के महत्व संक्षिप्त में बताइए। 2

उत्तर :

1. विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं क्योंकि ये उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक हैं वरन् द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं।
2. देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग, इसी विचार पर आधारित थे। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था।
3. निर्मित वस्तुओं का निर्यात, वाणिज्य-व्यापार को बढ़ाता है जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है।
4. वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं।

16. भारत की बहुत अधिक जनसंख्या के कारण उत्पन्न तीन समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। 2

उत्तर :

भारत में अधिक जनसंख्या से उत्पन्न प्रमुख समस्याएँ निम्न प्रकार हैं-

1. जनसंख्या में अधिक वृद्धि देश की आर्थिक संवृद्धि में बाधक है। बहुत अधिक जनसंख्या के कारण जीवन की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है।
2. अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अधिक संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है।
3. इसके अतिरिक्त बेरोजगारी, गरीबी इत्यादि समस्याएँ भी लगातार बढ़ती जाती हैं व अन्य भौतिक सुख सुविधाओं जैसे पीने के पानी, बिजली, यातायात, आवास आदि की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

सभी गुरूजनों से निवेदन है कि RBSE के सॉल्वड मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए 9460377092 पर सिर्फ TEACHER शब्द SMS करें (व्हाट्सएप्प ना करें) आपसे संपर्क कर आपको विशेष रूप से मॉडल पेपर भेजे जाऐंगे।

17. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में संक्षिप्त में बताइए। 2

उत्तर :

सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सड़कों के विकास की एक योजना है। यह योजना 25 दिसम्बर 2000 को शुरू की गई थी। यह देश के सभी गाँवों को प्रमुख सड़कों से जोड़ने की योजना है। इस योजना के तहत 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 तथा इससे अधिक आबादी वाले गाँवों को 2003 तक तथा 500 से 1000 जनसंख्या वाले गाँवों को 2007 तक सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जनजाति क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले गाँवों को सड़कों से जोड़ने की योजना है।

18. सार्वजनिक यातायात का महत्व बताइये। 2

उत्तर :

सार्वजनिक यातायात के द्वारा देश के सभी नागरिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा कर सकते हैं। माल को आवाजाही कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किसी भी नागरिक का नहीं होता है। व्यक्ति, यात्रा का किराया अदा करके कहीं भी जा सकता है।

19. स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारम्भ हुआ तथा इसके उद्देश्य बताइये। 2

उत्तर :

स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर, 2014 को आरम्भ हुआ। इसका उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को शौचायल की सुविधा प्रदान करना और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में ठोस और द्रवित अपशिष्ट प्रबन्ध क्रियाकलापों के माध्यम से 2 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत हासिल करना है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में प्रत्येक परिवार को शौचालय के लिए प्रोत्साहन राशि 10,000/- रु. कर दी गई है।

20. अशोक के 'धम्म' अथवा 'धर्म' का सार लिखिए। 4

उत्तर :

भारतीय इतिहास में अशोक एक विजेता एवं कुशल प्रशासक के रूप में नही वरन् एक महान धार्मिक नेता के रूप में प्रसिद्ध है। अशोक के धम्म अथवा धर्म के सिद्धांतों के अनुसार बड़ों का आदर, छोटो से प्यार, सदा सत्य बोलना, झूठ से घृणा, पाप रहित जीवन व्यतीत करना, मनुष्यों तथा पशुओं को कष्ट देने से दूर रहना, दान देना, साधु स्वभाव होना तथा कल्याणकारी कार्य करना आदि सार की शर्तें हैं।

21. मुहम्मद तुगलक की प्रमुख पाँच योजनाओं के नाम लिखिये। 4

उत्तर :

बरनी के अनुसार मुहम्मद तुगलक की पाँच मुख्य योजनाएँ इस प्रकार है-

1. देव गिरि को राजधानी बनाना
2. खुरासान पर आक्रमण
3. कराचिल की ओर अभियान
4. दोआब में कर वृद्धि
5. सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन

22. यंग इटली सोसायटी की स्थापना कब तथा किसके द्वारा की गई? संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। 4

उत्तर :

मेजिनी (ज्युसेपे मेत्सिनी) इटली के राष्ट्रवाद का मसीहा था। उसने 1831 ई. में 'यंग इटली सोसाइटी' की स्थापना की थी। इटली के नवनिर्माण में मेत्सिनी की भूमिका सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण थी। उसे इटली की एकता और युवाशक्ति पर अत्यधिक विश्वास था।

मेत्सिनी एक महान् दार्शनिक होने के साथ-साथ दूरदर्शी राजनेता भी था। अतः उसने जन-संप्रभुता के सिद्धांत पर जोर दिया। "इ्यूटीज ऑफ मैन" नामक पुस्तक में उसने इटली की जनता के समक्ष राष्ट्र-प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया। उसने एकता, स्वतंत्रता, कल्याण, समानता तथा विश्वास के आधार पर इटली के एकीकरण को बल दिया। मेत्सिनी के शब्दों में, "पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ।" मेत्सिनी के गणतंत्रवादी विचारों ने इटली के नवनिर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।

23. प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कोई चार अन्तर लिखिए। 4

उत्तर :

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में चार अन्तर निम्नलिखित हैं-

	प्रत्यक्ष लोकतंत्र	**अप्रत्यक्ष लोकतंत्र**
1.	प्रत्यक्ष लोकतंत्र में स्वयं नागरिक ही कानून बनाते हैं। उदाहरण : स्विट्जरलैंड अथवा प्राचीन यूनान में एथेन्स नगर राज्य।	अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिकों के प्रतिनिधि कानून बनाते हैं। उदाहरण : भारत।
2.	प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता और सरकार में कोई अंतर नहीं होता।	अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं।
3.	प्रत्यक्ष लोकतंत्र बहुत छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त तथा संभव होते हैं।	बड़े राज्यों के लिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही उपयुक्त तथा संभव है।
4.	प्रत्यक्ष लोकतंत्र में चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती अथवा इनके आयोजन में किसी तरह की जटिल प्रक्रिया नहीं होती।	अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराना जरूरी है और इसकी एक जटिल प्रक्रिया है।

24. भारत में वैश्वीकरण के कोई तीन प्रभाव समझाइये। 4

उत्तर :

भारत में वैश्वीकरण के तीन प्रभाव निम्नलिखित हैं-

1. **उत्पादकों पर प्रभाव –** वैश्वीकरण के कारण स्थानीय एवं विदेशी दोनों उत्पादकों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा से धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्टता, गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं।
2. **निवेशकों पर प्रभाव –** विगत वर्षों से बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है।

सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि RBSE के सॉल्वड मॉडल पेपर/डेस्क वर्क प्राप्त करने के लिए 9460377092 को अपनी क्लास के व्हाट्सएप्प ग्रुप में एड करें। आपकी क्लास के व्हाट्सएप्प ग्रुप में पेपर भेज दिए जाएंगे।

3. **शीर्ष भारतीय कम्पनियों पर प्रभाव –** अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियाँ प्रतिस्पर्धा बढ़ने से लाभान्वित हुई हैं। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन–मानकों को ऊँचा उठाया। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया। इससे भी आगे, वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने में सक्षम बनाया। टाटा मोटर्स (मोटरगाड़ियाँ), इंफोसिस (आई.टी.), रैनबैक्सी (दवा), एशियन पेंट्स (पेंट), सुन्दरम फास्टनर्स (नट और बोल्ट) कुछ ऐसी भारतीय कंपनियाँ हैं जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं।

अथवा

24. 'भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है'। इस कथन के पक्ष में चार तर्क दीजिए।

उत्तर :

निम्नलिखित कारणों से भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से विकसित अर्थव्यवस्था नहीं कहा जा सकता है–

1. प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया में भारत की स्थिति 170 वें स्थान पर है।
2. मानव जीवन की निम्न गुणवत्ता अविकसितता की एक और विशेषता है। आबादी का लगभग चौथाई हिस्सा अशिक्षित है और लोगों की जीवन प्रत्याशा विकसित देशों की तुलना में कम है।
3. गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है। सन् 2011–12 में प्रोफेसर तेंदुलकर द्वारा गरीबों की संख्या का अनुमानित आंकलन 21.92 प्रतिशत बताया गया था।
4. कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और गैर–कृषि क्षेत्रों में कृषि के लिए श्रम बल के स्थानांतरण की धीमी गति अविकसितता की एक और विशेषता है।

25. रेखांकित चैक से आप क्या समझते हैं? 4

उत्तर :

रेखांकित चैक वह होता है, जिस पर दो समानान्तर रेखाएँ खींची हुई हों। ये रेखाएँ इस बात की सूचक हैं कि यह प्राप्तकर्ता के खाते में ही जमा होगा। रेखांकित चैक में ये पूर्तियाँ की जाती हैं–

1. दो समानान्तर तिरछी रेखाएँ
2. चैक जारी करने की तारीख
3. भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
4. भुगतान की राशि अंकों में
5. भुगतान की राशि शब्दों में
6. चैक जारी करने वाले की खाता संख्या
7. चैक जारी करने वाले के हस्ताक्षर। इनके अलावा चैक जमा कराने वाले व्यक्ति को चैक के पीछे खाता नंबर एवं मोबाइल नंबर लिखना आवश्यक कर दिया है ताकि किसी भी प्रकार की कमी होने या संग्रहण में कठिनाई आने पर जमाकर्ता से सम्पर्क किया जा सकता है।

26. उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थापित न्यायिक तंत्र को समझाइये। 4

उत्तर :

भारत में अत्यधिक कालाबाजारी, जमाखोरी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट के कारण 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई। 1970 के दशक में उपभोक्ताओं की अनेक संस्थाओं ने अपने प्रदर्शनों एवं लेखों के माध्यम से उत्पादकों एवं व्यापारियों की इन गतिविधियों के विरुद्ध आवाज उठाई और सरकार से आग्रह किया कि वह व्यापारियों और उत्पादकों की इन गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए। इसी से प्रभावित होकर भारत सरकार ने 1986 ई. में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पास किया। जिसके द्वारा उत्पादकों एवं व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता न्यायालय की व्यवस्था की गई और दोषी व्यापारियों एवं उत्पादकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा उपभोक्ताओं की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जाने लगी।

27. मराठों द्वारा अंग्रेजों से किए गए संघर्ष का वर्णन कीजिए। 6

उत्तर :

1772 ई. में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उसका भाई नारायण राव पेशवा बना लेकिन पूर्व पेशवा का चाचा रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था। अंग्रेजों को अब मराठा राज्य में फूट डालने का अवसर मिल गया। अंग्रेजों और रघुनाथ राव के मध्य 6 मार्च, 1775 ई. को सूरत की सन्धि हुई, जिसमें अंग्रेज, रघुनाथ राव को पेशवा बनने में मदद करेंगे और पेशवा अंग्रेजों को बेसिन, सालसेट व सूरत की लगान का आधा भाग देगा। इस प्रकार रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा तथा बम्बई सरकार द्वारा उसके साथ की गई सन्धि ने मराठों और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष को अनिवार्य बना दिया।

1. **प्रथम आंग्ल–मराठा युद्ध –** 1775 ई. से 1782 ई. के मध्य अंग्रेजों और मराठों के मध्य संघर्ष चला। इस संघर्ष में ब्रिटिश सेना संगठित मराठा सेना से परास्त हुई और 29 जनवरी 1799 ई. "बड़गाँव" की अपमानजनक सन्धि करनी पड़ी, जिसमें अंग्रेजों द्वारा विजित प्रदेश मराठों को वापस लौटाने तथा रघुनाथ राव को पूना दरबार के हवाले करने तथा अंग्रेजों द्वारा 41000 रु युद्ध हर्जाने के रूप में देना तय हुआ।
2. **द्वितीय आंग्ल–मराठा युद्ध –** यह संघर्ष 1802 से 1805 तक चला, इस संघर्ष का कारण लार्ड वेलेजली की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा मराठा सरदारों का आपसी द्वेष रहा। इस संघर्ष में मराठा सरदारों ने अलग–अलग अंग्रेजों से युद्ध किया और पराजित हुए। दक्षिण भारत में भौंसले ने संघर्ष किया और 1803 ई. को अंग्रेजों से देवगाँव की सन्धि कर ली। लालवाडी के युद्ध में सिन्धिया पराजित हुआ और 30 दिसम्बर 1803 ई. में 'सुर्जी अर्जुन गाँव' की सन्धि हुई। होल्कर और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष अनिर्णित रहा लेकिन दोनों पक्षों के मध्य जनवरी 1806 ई. को 'राजघाट' की सन्धि हुई जिसके अनुसार होल्कर ने चम्बल नदी के उत्तरी क्षेत्र पर अपना अधिकार छोड़ दिया तथा राजपूताने में आन्तरिक हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया।
3. **तृतीय आंग्ल–मराठा युद्ध –** भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता बनाये रखने के लिए 13 जून, 1817 को पेशवा के साथ तथा 5 नवम्बर, 1817 ई. को सिंधिया को अंग्रेजों के साथ अपमानजनक सन्धि करनी पड़ी। इन अपमानजनक बन्धनों को तोड़ने के लिए

सभी गुरूजनों से निवेदन है कि RBSE के सॉल्वड मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए 9460377092 पर सिर्फ TEACHER शब्द SMS करें (व्हाट्सएप्प ना करें) आपसे संपर्क कर आपको विशेष रूप से मॉडल पेपर भेजे जाऐंगे।

मराठों ने संघर्ष आरम्भ कर दिया, लेकिन पेशवा की किर्की भोंसले की सीतबर्डी तथा होल्कर की महींदपुर स्थान पर पराजय हुई। 18 जून, 1818 को मेल्काम ने पेशवा के साथ सन्धि की। जिसके अनुसार पेशवा पद समाप्त कर दिया तथा 8 लाख की पेंशन देकर बिठूर भेज दिया, जहाँ पर 1852 ई. में मृत्यु हो गई। इस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति, 'फूट डालो राज करो' की नीति से मराठों को संघर्ष में पराजित कर दिया।

अथवा

27. भारत के स्वतन्त्रता संघर्ष में उदारवादियों के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए।

उत्तर :

1885 से 1905 की अवधि में भारतीय स्वतन्त्रता संघर्ष का नेतृत्व उदारवादी नेताओं के हाथ में रहा। उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी, फिरोजशाह मेहता, दीनशा वाचा आदि प्रमुख थे।

उदारवादियों के प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित थे–

1. ये लोग अपनी राजनीति की व्याख्या उदारवाद और संयम के समन्वय से करते थे।
2. ये लोग भारतीयों के लिए धर्म और जाति के पक्षपात के विरोधी थे, मानवीय समानता, कानून के सामने बराबरी, नागरिक स्वतन्त्रताओं के प्रसार और प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास के समर्थक थे।
3. उदारवादी ब्रिटिश साम्राज्य को बनाये रखने तथा उसे सुदृढ़ करने के पक्ष में थे। उन्हें भय था कि अंग्रेजी शासन के समाप्त होने पर देश में अव्यवस्था फैल जाएगी। उनके अनुसार ब्रिटिश राज्य शांति और व्यवस्था का प्रतीक था और वे इसे भारत में दीर्घकाल तक बनाये रखना चाहते थे।
4. उदारवादियों का विश्वास था कि अंग्रेज न्यायिक लोग हैं, वे भारत के साथ न्याय ही करेंगे। भारतीयों की शिकायत अंग्रेज नौकरशाही के कारण अथवा अंग्रेजों को हमारी शिकायतों की पूरी जानकारी न होने के कारण से है। यही कारण है कि उदारवादियों ने इंग्लैण्ड में प्रचार की ओर अधिक ध्यान दिया।
5. इस काल में उदारवादियों ने देश की स्वतन्त्रता की माँग नहीं की, केवल भारतीयों के लिए कुछ रियायतों की माँग की।
6. उदारवादी संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे। वे प्रार्थनाओं, प्रार्थना–पत्रों, स्मृति–पत्र आदि के द्वारा अपनी माँगों को सरकार के सामने प्रस्तुत करते थे।

28. भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। 7

उत्तर :

भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत प्रस्तुत है–

1. **निर्वाचक मण्डल –** भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न होकर अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाता है।

   राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मण्डल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा संघ शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा (70 वें संविधान संशोधन, 1992 द्वारा) के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
2. **निर्वाचक प्रणाली –** राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति व एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है।
3. **सांसद एवं विधायक के एक मत का मूल्य –** राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने वाले सांसद एवं विधायक के मत का मूल्य समान नहीं होता। इनके मत के मूल्य का निर्धारण अलग–अलग सूत्रों से किया जाता है, यथा–

   (a) **विधायक के मत का मूल्य –** किसी भी राज्य या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्य के मतों की संख्या

   $$= \frac{\text{राज्य या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या}}{\text{राज्य विधानसभा तथा संघीय क्षेत्रों की विधानसभा}} + 1000$$

   (b) **संसद के मत का मूल्य** – संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या

   $$= \frac{\text{समस्त राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्याओं का कुल योग}}{\text{संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या}}$$

   इस प्रकार एक विधायक एवं एक सांसद के मत का मूल्य अलग–अलग होता है। एक राज्य की विधानसभा के एक विधायक के मत का मूल्य भी दूसरे राज्य की विधानसभा के एक विधायक के मत के मूल्य से अलग हो सकता है लेकिन समस्त विधायकों के मतों के मूल्य का कुल योग, समस्त सांसदों के मतों के मूल्य के कुल योग के बराबर होता है।

   (c) **न्यूनतम कोटा –** .चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए 'न्यूनतम कोटा' प्राप्त करना आवश्यक होगा। 'न्यूनतम कोटा' निर्धारित करने के लिए यह सूत्र अपनाया जाता है।

   $$\text{न्यूनतम कोटा} = \frac{\text{दिए गए वैध मतों की संख्या}}{\text{निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या}} + 1000$$

   न्यूनतम कोटा की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने पर ही एक व्यक्ति को राष्ट्रपति पद प्राप्त हो सके। इस पद्धति में मतदाता अपने मतपत्र में अपनी पसंद व्यक्त कर सकता है।

अथवा

28. संघीय व्यवस्थापिका के संगठन का वर्णन कीजिए। 7

उत्तर :

भारत की संघीय व्यवस्थापिका (संसद) राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनी है। लोकसभा जनता की प्रतिनिधि सभा है। इसे भारत की संसद का प्रथम सदन, लोक सदन या लोकप्रिय सदन तथा निम्न सदन भी कहा जाता है।

लोकसभा–

लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं।

1. **सदस्य संख्या –** मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गयी थी। संविधान के प्रावधान के अनुसार

सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि RBSE के सॉल्वड मॉडल पेपर/डेस्क वर्क प्राप्त करने के लिए 9460377092 को अपनी क्लास के व्हाट्सएप्प ग्रुप में एड करें। आपकी क्लास के व्हाट्सएप्प ग्रुप में पेपर भेज दिए जाएंगे।

लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है जिसमें विभिन्न राज्यों के 530 सदस्य तथा संघ शासित प्रदेशों से 20 सदस्य हो सकते हैं। 2 सदस्य एंग्लो-इण्डियन समुदाय में से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या का प्रावधान अनुच्छेद 81(1) में हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। इन सदस्यों में से 530 सदस्य 28 राज्यों से और 13 सदस्य 7 संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो-इण्डियन समुदाय में से मनोनीत किए जाते हैं।

2. **निर्वाचन** – लोकसभा सदस्य एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप में जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं।
3. **सदस्यों की योग्यताएँ** – लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ आवश्यक हैं–
   (a) वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो।
   (b) उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो।
   (c) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अन्तर्गत वह कोई लाभ का पद धारण न किए हो।
   (d) वह पागल तथा दिवालिया न हो।
4. **कार्यकाल** – लोकसभा का कार्यकाल निर्वाचन के पश्चात् प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तारीख से 5 वर्ष होगा किन्तु संविधान में यह भी प्रावधान है कि राष्ट्रपति लोकसभा को 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व भी भंग कर सकता है।
5. **सदस्यों की सुविधाएँ** – लोकसभा के सदस्यों को संसद द्वारा निर्धारित विधि के प्रावधानों के अनुसार वेतन और भत्ते , प्रतिवर्ष निर्धारित अधिकतम सीमा तक विमान यात्रा, टेलीफोन तथा भारत में कहीं भी निःशुल्क रेलयात्रा की सुविधा भी प्राप्त होती है।
6. **पदाधिकारी** – लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती हैं। लोकसभा की अध्यक्षता की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति या अध्यक्ष द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों के पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। सामान्यतया इस पैनल या मण्डल में 6 सदस्य रखे जाते हैं।
7. **अधिवेशन** – लोकसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है। संविधान में प्रावधान है कि लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए।

राज्यसभा–

राज्यसभा संसद का उच्च सदन है।

1. **सदस्या संख्या** – अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में इनकी संख्या 245 है।
2. **निर्वाचन एवं नियुक्ति** – अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हैं। इसमें 238 सदस्य विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों से तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान अथवा समाज-सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व व्यावहारिक अनुभव रखने वाले होते हैं। शेष 238 सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है।
3. **सदस्यों की योग्यताएँ**–
   (a) वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो।
   (b) उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो।
   (c) वह ऐसी योग्यताएँ रखता हो जो संसद द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए।
   (d) वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर आसीन न हो।
   (e) वह पागल तथा दिवालिया न हो।
4. **कार्यकाल** – राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद पदनिवृत्त हो जाते हैं और इतने ही 1/3 सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। इस सदन को राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता हैं।
5. **वेतन** – राज्यसभा सदस्यों को लोकसभा के सदस्यों के समान ही वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएँ प्राप्त होती हैं।
6. **पदाधिकारी** – उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में ही मासिक वेतन मिलता है। सभापति का दायित्व सदन की बैठक का संचालन करना और अनुशासन बनाए रखना होता है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति, सभापति के कर्त्तव्यों का पालन करता है। उपसभापति सदन का सदस्य होता है और सदन (राज्यसभा) द्वारा ही 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है।
7. **गणपूर्ति** – राज्यसभा की किसी बैठक में गणपूर्ति हेतु सदन के कुल सदस्यों की संख्या 1/10 की उपस्थिति आवश्यक होती है।

राष्ट्रपति–

राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मण्डल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा संघ शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।

29. विधानसभा के गठन, अधिकारों तथा कार्यों की विवेचना कीजिए। 6

उत्तर :

विधानसभा का गठन–

विधानसभा विधानमण्डल का प्रथम और लोकप्रिय सदन है। इसका गठन निम्न रूप में होता है।

1. **सदस्य संख्या** – संविधान में राज्य की विधानसभा के सदस्यों की केवल न्यूनतम और अधिकतम संख्या निश्चित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होगी। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार अनुच्छेद 333 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की विधानसभा के अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं।
2. **स्थान आरक्षण** – राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था 95वें संवैधानिक संशोधन, 2009 के अनुसार जनवरी 2020 ई. तक के लिए है। यदि किसी राज्य के चुनाव में एंग्लो-इंडियन जाति को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो राज्यपाल स्वेच्छा से उस जाति को

सभी गुरूजनों से निवेदन है कि RBSE के सॉल्वड मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए 9460377092 पर सिर्फ TEACHER शब्द SMS करें (व्हाट्सएप्प ना करें) आपसे संपर्क कर आपको विशेष रूप से मॉडल पेपर भेजे जाऐंगे।

प्रतिनिधित्व देने के लिए उस जाति के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है।

3. **निर्वाचन पद्धति –** आंग्ल–भारतीय समुदाय के नामजद सदस्य को छोड़कर विधानसभा के अन्य सभी सदस्यों का मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप में चुनाव होता है। चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा साधारण बहुमत की पद्धति अपनायी गयी है। सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल–सदस्यीय हैं।
4. **सदस्यों की योग्यताएँ –** संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानमंडल के सदस्यों की निम्नलिखित योग्यताएँ निश्चित की गई हैं–
   (a) प्रत्याशी भारत का नागरिक हो।
   (b) विधानसभा के लिए उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
   (c) वह संसद द्वारा निश्चित सभी योग्यताएँ रखता हो।
   (d) वह किसी न्यायालय द्वारा पागल घोषित न किया गया हो।
   (e) वह दिवालिया न हो।
   (f) वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अनुसार विधानसभा के लिए अयोग्य न हो।
5. **कार्यकाल –** संविधान के अनुच्छेद 172 के अनुसार राज्य विधानसभा का कार्यकाल पाँच वर्ष निश्चित किया गया है। इस निश्चित समय से पहले भी राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। आपातकालीन स्थिति में संघीय संसद कानून बनाकर किसी राज्य विधानसभा की अवधि अधिक–से–अधिक एक समय में एक वर्ष बढ़ा सकती है। आपात स्थिति की समाप्ति के पश्चात् यह बढ़ाई हुई अवधि केवल 6 मास तक लागू रह सकती है।

विधानसभा के अधिकार एवं कार्य–

राज्य विधानमण्डल राज्य की व्यवस्थापिका है और संविधान के द्वारा विधानमण्डल को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। राज्य विधानमण्डल की शक्तियों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है–

1. राज्य विधानमंडल को राज्य तथा समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, किन्तु विधानमंडल द्वारा समवर्ती सूची के विषय पर बनाया गया कानून संसद द्वारा बनाए कानून से नहीं टकराना चाहिए।
2. मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। विधानमंडल मंत्रिमंडल को उत्तरदायी बनाने के लिए विभिन्न अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। जैसे– प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, सूचना माँगकर, स्थगन प्रस्ताव द्वारा, निन्दा प्रस्ताव द्वारा, सरकार की नीतियों की आलोचना करके, मंत्रियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों का उल्लेख करके, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा इत्यादि।
3. संविधान में संशोधन में कई अनुच्छेदों में कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की अनुमति आवश्यक हैं।
4. राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी राज्य के विधानमंडलों की प्रमुख भूमिका है।
5. विधानमंडल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति तथा उपसभापति और सदन के सदस्यों को पदमुक्त करने की भी शक्ति रखती है।
6. राज्य विधानमंडल राज्य के लिए वित्त पर पूर्ण नियन्त्रण रखता है। राज्य की सरकार द्वारा कोई भी कर इसकी अनुमति के बिना नहीं लगाया जा सकता और न ही कोई व्यय उसकी अनुमति के बिना किया जा सकता है।

अथवा

29. विधानपरिषद की तुलना में विधानसभा की स्थिति बताइए। 6

उत्तर :

विधानसभा और विधानपरिषद् की तुलना तथा दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है:

1. **नामकरण के संबंध में –** विधानमण्डल के दो अंग विधानसभा और विधानपरिषद् हैं। विधानसभा विधानमण्डल का प्रथम अथवा निम्न सदन है और विधानपरिषद् द्वितीय अथवा उच्च सदन है।
2. **प्रतिनिधित्व के संबंध में –** विधानसभा राज्य की समस्त जनता की प्रतिनिधि है, जबकि विधानपरिषद् कुछ विशेष वर्गों की प्रतिनिधि है।
3. **सदस्य संख्या के संबंध में –** किसी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 हो सकती है, परन्तु विधानपरिषद् के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या की एक–तिहाई होती है किन्तु वह 40 से कम किसी अवस्था में नहीं होगी।
4. **निर्वाचन के संबंध में –** विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और साधारण बहुमत की पद्धति के आधार पर होता है, परन्तु विधानपरिषद् के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से और आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है।
5. **कार्यकाल के संबंध में –** साधारणतया विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधानपरिषद् एक स्थायी सदन है, जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
6. **पदाधिकारियों के संबंध में –** विधानसभा के दो पदाधिकारी (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष) हैं तथा विधानपरिषद् के दो पदाधिकारी (सभापति तथा उपसभापति) हैं।
7. **संविधान संशोधन के क्षेत्र में –** संविधान के कुछ विशेष प्रकार के उपबन्धों पर संशोधन की पुष्टि राज्य विधानमण्डल करता है और इस संबंध में विधानमण्डल के दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं।
8. **राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में –** राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी केवल विधानसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं, विधानपरिषद् के सदस्य नहीं।

विधानसभा तथा विधानपरिषद् की शक्तियों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि विधानसभा विधानपरिषद् की तुलना में अधिक शक्ति सम्पन्न है।

30. 1. भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए– 5
   (a) सेलम
   (b) दुर्गापुर
2. दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए।
   (a) चौरी चौरा
   (b) कलकत्ता

उत्तर :

सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि RBSE के सॉल्वड मॉडल पेपर/डेस्क वर्क प्राप्त करने के लिए 9460377092 को अपनी क्लास के व्हाट्सएप्प ग्रुप में एड करें। आपकी क्लास के व्हाट्सएप्प ग्रुप में पेपर भेज दिए जाएंगे।

****

सत्र 2020-21 से नये पाठ्यक्रमानुसार सभी कक्षाओं के सभी विषयों की टेक्स्ट बुक एवं सभी प्रकार की सहायक अध्ययन सामग्री विद्यार्थियों को मोबाइल पर व्हाट्सएप द्वारा एवं वेबसाइट www.rbse.online पर उपलब्ध करवायी जाएगी। इसके लिये विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके लिये विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का कोई OTP Verification या Email द्वारा Verification नहीं देना होगा। हमारा व्हाट्सएप नम्बर जानने या अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये वेबसाइट www.rbse.online पर विजिट करें।

सभी गुरूजनों से निवेदन है कि RBSE के सॉल्वड मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए 9460377092 पर सिर्फ TEACHER शब्द SMS करें (व्हाट्सएप्प ना करें) आपसे संपर्क कर आपको विशेष रूप से मॉडल पेपर भेजे जाऐंगे।